

## झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

### ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माण कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेण्डरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार नाला सफाई कार्य हेतु अति अल्पकालिक आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	27.05.2024 3.00 PM	03.06.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	03.06.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	03.06.2024 3:30 PM	-

नोट-

- कार्य से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट [www.jnnjhansi.com](http://www.jnnjhansi.com) में देखी जा सकती है।
- निविदा की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने पर निविदा डालना सम्भव नहीं होगा।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 307 / जनकार्य वि० / न०नि० / 2024-25

दिनांक :- 25/05/2024

प्रतिलिपि :-

- विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
- सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम, झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
- नाजिर/प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम, झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- पी०ए०, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
- आई०टी०एक्सपर्ट, नगर निगम, झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

307  
25/5/2024  
6:10 PM  
Recd  
25/05/24

# झाँसी नगर निगम, झाँसी।

हरित झाँसी

स्वच्छ झाँसी

## ई-निविदा सूचना (अति अल्पकालिक निविदा सूचना)

निर्माण कार्य हेतु पात्र ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा तक प्रतिशत आधार दरों पर ई-निविदा पद्धति से ई-टेंडरिंग की बेवसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नलिखित टेण्डर शैड्यूल के अनुसार **नाला सफाई कार्य हेतु अति अल्पकालिक निविदा** आमंत्रित की जाती है। प्रतिभूति की धनराशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य की धनराशि <http://jnnjhansi.procure247.com> बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जायेगी :-

क्र०सं०	विवरण	प्रारम्भ दिनांक एवं समय	अन्तिम दिनांक एवं समय
1-	निविदा देखने/डाउनलोड/खरीदने की तिथि	27.05.2024 3.00 PM	03.06.2024 3:00 PM
2-	बिड समाप्ति की तिथि एवं समय	-	03.06.2024 3:00 PM
3-	बिड खोलने की तिथि एवं समय	03.06.2024 3:30 PM	-

### कार्य का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनांक (जी०एस०टी० छोड़कर)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	प्रतिभूति की धनराशि	कार्य पूर्ण होने की अवधि
1	वार्ड नं० 40 सीपरी बाजार में हाईवे होटल से नन्दनपुरा की पुलिया तक दोनों ओर नाला सफाई का कार्य। पुनः निविदा।	238070.00	240.00+18.00% GST	23850.00	एक माह
2	वार्ड नं० 54 में प्रशांत खटीक के मकान से माँ अम्बे किराना स्टोर तक नाला सफाई का कार्य। पुनः निविदा।	222167.00	225.00+18.00% GST	22300.00	एक माह

नोट-

- निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में देखी जा सकती है।
- कार्यों से सम्बन्धित निविदा सूचना एवं शर्तें नगर निगम, झाँसी की बेवसाइट [www.jnnjhansi.com](http://www.jnnjhansi.com) में देखी जा सकती है।
- निविदादाता को <http://etender.up.nic.in> में ई-टेण्डर में पंजीकृत होना है।
- पंजीकृत ठेकेदार अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी नीचे तक का कार्य लेने के लिए अनुमत्य होगा।
- ई-टेण्डरिंग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में परिवर्तन अथवा पूर्व की भांति मैनुअल मांगे जाने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।
- नाले का कार्य प्रारम्भ, करते हुए एवं कार्य पूर्ण की वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से की जायेगी साथ ही प्रत्येक स्टेज की फोटोग्राफी किया जाना होगा।
- नाले की सिल्ट की सफाई हेतु लगाये गये श्रमिकों/कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित एक्ट, नियम विनियम एवं विधियों का पालन करना होगा और उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- नालों की सिल्ट सफाई करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों के सम्बन्ध में ठेकेदार को सभी सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित करना होगा। उल्लंघन करने पर कोई अप्रिय घटना घटित होने पर सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी होगी तथा विधिक एवं दण्डात्मक रूप से उत्तरदायी होगा।
- सिल्ट का डिस्पोजल नियत स्थलों पर करना होगा।
- कार्य को पूर्ण करने की समयावधि वर्षा ऋतु को शामिल करते हुए वर्णित है।
- अपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत है वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- प्रत्येक निविदादाता रू० 100/- के नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी सूचनाएं सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- डिफैक्ट लायबिलिटी की अवधि लोक निर्माण विभाग द्वारा तय की गयी अवधि के अनुसार होगी।
- कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भिक फोटो, कार्य प्रगति की फोटो एवं कार्य समाप्ति की फोटो पत्रावली में लगाया जाना अनिवार्य होगा।
- जी०एस०टी० के नियमों/शासनादेश के अनुसार निर्धारित कटौती की जायेगी।
- कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच समय-समय पर परीक्षणशाला से करानी होगी।
- शासनादेश सं० 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता का यदि पूर्व से नगर निगम, झाँसी में पंजीकरण नहीं है तो उन्हें पंजीकरण नियमावली/शर्तों के अनुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- निविदा खोलने की तिथि में अगर अवकाश होता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जायेगी।
- ई-निविदा में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन की सूचना को बेवसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जायेगा।
- ठेकेदार/फर्म के किये गये कार्यों की परफोरमेन्स के आधार पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी में निहित होगा।

22. निविदा दरें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 90 नब्बे दिनों की अवधि के लिए स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी। एक बार सबमिट की गई निविदा दरें सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।
23. किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार से किसी भी सेवानिवृत्ति राजपत्र अधिकारी (एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त) को सरकार की अनुमति के बिना ठेकेदार प्रतिष्ठान में काम करने की अनुमति नहीं है। यह अनुबंध रद्द करने के लिए उत्तरदायी है, यदि ठेकेदार या उसके किसी कर्मचारी को किसी भी समय ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, जिसने ठेकेदार की सेवा में निविदा प्रस्तुत करने से पहले सरकार की अनुमति नहीं ली थी। इस विभाग के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए भी यही शर्त लागू होगी।
24. निविदा दस्तावेज, और निविदादाता योजना, विनिर्देशों, आरेखण की पात्रता मानदंड से सम्बन्धित अन्य विवरण, किए जाने वाले कार्य के विभिन्न वर्गों की मात्रा की अनुसूची और अनुबंध के नियम और शर्तों का पालन करने के लिए ठेकेदार द्वारा अनुपालन किया जा सकता है। बेवसाइट से लोड किया जा सकता है। <https://etender.up.nic.in>
25. किसी भी आपराधिक गतिविधि के लिए माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
26. नवीनतम सीवीसी गाइडलाइन के अनुसार बैंक गारंटी और व्याज जुटाना अग्रिम के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
27. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
28. नगर निगम मा0सदन की बैठक दिनांक 13.11.2019 के स्वीकृत प्रस्ताव सं0 9 के अनुसार किसी भी ठेकेदार के पूर्व से स्वीकृत कोई भी तीन या उसके अधिक कार्य अधूरे हैं, तो उस ठेकेदार को नया कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा तथा किसी भी ठेकेदार को एक बार में तीन से अधिक कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
29. 15 प्रतिशत से अधिक बिलो निविदा दर प्राप्त होने पर सम्बन्धित फर्म को कार्य को गुणवत्तापूर्वक करने का जस्टीफिकेशन निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
30. निविदाओं में उल्लिखित पृथक-पृथक राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक के रूप में प्रतिभूति राशि को निविदा के साथ अपलोड करना होगा तथा मूल प्रति एवं निविदा शुल्क का विवरण निविदा पेट्री में निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
31. शासनादेश सं0 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 नगर विकास अनुभाग-5 दिनांक 07.01.2022 के अनुसार निर्माण कार्यों में परफोरमेन्स सिक्वोरिटी ली जायेगी।( प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10 प्रतिशत तक के लिए परफोरमेन्स सिक्वोरिटी 3 प्रतिशत ही रहेगी परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1 प्रतिशत नीचे दर हेतु 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त परफोरमेन्स सिक्वोरिटी जमा कराया जाये।)
32. निविदादाता द्वारा कार्य किसी अन्य व्यक्ति/ठेकेदार को सबलेट नहीं किया जा सकता है।
33. काम शुरू करने का पत्र प्राप्त करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर बोली लगाने वाले की श्रम विभाग में अपना श्रम पंजीकृत करना आवश्यक है।
34. निविदादाता को प्रस्तुत करने से पहले स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास कार्य को निष्पादित करने के लिए पर्याप्त निविदा दर की क्षमता है और उसे बोली जमा करने के समय बोली क्षमता गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा।
35. नेशनल ग्रीन ट्रिव्यूनल द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।
36. कार्य के साथ नोटिस जारी करने के बाद, ठेकेदार श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत संबन्धित कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों के नाम जमा करेगा।
37. निविदादाता के पंजीकृत सेल पर बोली लगाने वाले और एस.एम.एस. द्वारा दिए गए ई-मेल पर भेजे गए सभी नोटिस और पत्र, बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए मान लिए जाएंगे।
38. विभिन्न सरकारी आदेश/निदेशालय आदेश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।
39. अन्य विवरण निविदा शर्तों में देखे जा सकते हैं। कर्मचारी को उसके नियंत्रण से परे प्रणाली की विफलता के कारण किसी भी दरों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा जाएगा। भले ही सिस्टम किसी भी बोली अपडेट के बोलीकर्ताओं को सूचित करने की कोशिश करेगा, लेकिन नियोक्ता बोलीकर्ता द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा से संबन्धित नवीनतम जानकारी के लिए बेवसाइट से सत्यापित करना निविदादाताओं की जिम्मेदारी है।
40. एक अथवा सभी निविदाओं को कारण बताये अथवा बिना बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्व अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम,झाँसी में निहित होगा।

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त

पत्रांक :- 307/जनकार्य वि0/न0नि0/2024-25

दिनांक :-25/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक जागरण/दैनिक जनहित दर्शन, दैनिक समाचार पत्र, झाँसी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अंकित निविदा सूचना प्राप्ति दिनांक को या अगले दिनांक की अपने समाचार पत्र के झाँसी संस्करण के मुख्य पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में तथा 08 के फॉन्ट में एक बार के लिए प्रकाशित कर समाचार पत्र की 03 प्रतियों के साथ बिल भिजवाने का कष्ट करें।
2. सदस्य, निविदा समिति, नगर निगम,झाँसी को इस आशय से उक्त तिथि में निविदा सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें।
3. नाजिर/प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम,झाँसी को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त निविदा सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पी0ए0, नगर आयुक्त को विज्ञापन पंजिका में दर्ज करने हेतु।
5. आई0टी0एक्सपर्ट,नगर निगम,झाँसी को बेवसाइट पर अपलोड हेतु।

मुख्य अभियन्ता  
झाँसी नगर निगम,झाँसी।